कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

आवश्यक सूचना

दिनांक 10/03/2021 को सम्पन्न गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–118.03 पर प्राधिकरण द्वारा **वेटलैण्ड नोटिफिकेशन दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 व मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12/01/2021 के क्रम में रामगढ़ताल के आस–पास मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में** प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

"प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्देशों के अन्तर्गत वेटलैण्ड नोटिफिकेशन दिनांक 07/12/2020 एवं मा0 एन0जी0टी0 के सुसंगत आदेशों के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत किया गयाः–

1– आगामी महायोजना–2031 में रामगढ़ताल परिक्षेत्र में क्षेत्रीय पार्क का क्षेत्रफल वर्तमान से न तो कम किया जाए और न ही परिवर्तित किया जायेगा।

2– रामगढ़ताल से 500 मीटर परिधि के अन्दर निर्मित अवैध निर्माण का विनियमितिकरण कदापि न किया जाए।

3– उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल के क्षेत्र में उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हाई–रिस्क के मानचित्रों पर अतिरिक्त ग्रीन अधिभार का ऑकलन करने हेतु समिति बनायी जाए जो अपनी आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी।

4– रामगढ़ताल के 50–500 मीटर की परिधि में ऐसे व्यवसायिक मानचित्र जिनमें पर्यावरणीय अनुमति की अनिवार्यता नहीं है उनके सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति से पूर्व निम्नानुसार समिति सभी पर्यावरणीय मानक सुनिश्चित करने हेतु गठित की जाती हैः–

(1) प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।

(2) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गोरखपुर।

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित पर्यावरणविद्।

(4) मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

उपरोक्त समिति की संस्तुति कि प्रस्तावित गतिविधि में पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सभी उपाय सम्मिलित कर लिए गए, के पश्चात् ही मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा अपनी आख्या अधिकतम 07 दिवस में दी जाएगी जिससे मानचित्र स्वीकृति में विलम्ब न हो।

यह भी निर्णय दिये गये कि प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय का व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव है तो प्राधिकरण में दें। ऐसी समस्त आपत्तियों/सुझावों को बोर्ड के समक्ष निस्तारण/समावेशन हेतु त्वरित रूप से प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा आगामी बोर्ड बैठक में की जाएगी।"

प्राधिकरण बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त निर्णय के क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर ऑन लाईन/आफ लाईन गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट/कार्यालय में प्राप्त करा दें। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6.4.21

(राम सिह गौतम)
सचिव।

(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष।